सरदार सरोवर के विकल्प

सुहास परांजपे व के. जे. जॉय

सरदार सरोवर मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार पुनः सुर्खियों में है। वाद-विवाद के इस शोर में विकल्प की आवाज़ लगभग दबी है। विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ने और जंगल-ज़मीन को डूबो देने का तर्क ही विकल्प की तरह खड़ा दिखता है। क्या इसे स्वीकार कर लिया जाए? सुहास परांजपे और के. जे. जॉय का यह लेख हमें इस शोर में ठहरकर सोचने को विवश करता है। अपने व्यवस्थित शोध और सकारात्मक नज़रिए से यह साबित करता है कि और भी विकल्प हैं। सवाल यह है कि हम समस्याओं के निदान के लिए आयातित आरोपित तकनीक की जी हुजूरी करेंगे या समस्या के विविध पहलुओं पर ध्यान देते हुए तकनीकी का सार्थक और टिकाऊ इस्तेमाल करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना एक प्रवृत्ति है जो विकास के नाम पर देश भर में अपना पैर जमा रही है। इस प्रवृत्ति का पोल खोलते हुए परियोजना का वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करता है यह आलेख

सरदार सरोवर परियोजना पर गतिरोध जारी है। हमने 1995 में एक पुस्तक *सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजीः मेकिंग द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वायबल* (हिन्दी अनुवाद *टिकाऊ खुशहाली की ओर*) लिखकर सरदार सरोवर परियोजना की पुनर्रचना का एक प्रस्ताव दिया था। हमारे विचार से वह विकल्प 'परियोजना पर चल रहे विवादों से सम्बंधित समस्त पक्षों के जायज़ हितों व मांगों की पूर्ति करने में समर्थ था और उससे परियोजना के हिमायतियों व आलोचकों के बीच उत्पन्न गतिरोध को तोड़ने में मदद मिल सकती थी। यह 1995 की बात है। इन पांच वर्षों में काफी कुछ घटा है किन्तु एक बात साफ है कि गतिरोध बरकरार है।

आज उस पुस्तक के सार को दोहराते हुए हम कह नहीं सकते कि इस गतिरोध को तोड़ने में वह क्या भूमिका निभा सकता है। क्योंकि स्पष्ट है कि विवाद ने एक युद्ध का रूप ले लिया है और दोनों पक्षों ने बीच का कोई मार्ग छोड़ा नहीं है। ऐसा युद्ध वही पक्ष थोपता है जिसे लगता है कि वह इतना ताकतवर है कि दूसरा पक्ष उससे लड़त-लड़ते थक जाएगा। उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस संघर्ष में घाटी के आदिवासियों और किसानों ने अदम्य साहस व संकल्प का परिचय दिया है। उनका यह संकल्प और उनके पक्ष में जुटता जनमत ही शायद परियोजना पर पुनर्विचार का सबब बन सकेगा।

इसके बावजूद हम यहां कुछ ऐसे नज़रियों को रेखांकित करना चाहते हैं। ये नज़रिए सिर्फ सरदार सरोवर के संदर्भ में ही नहीं बल्कि एक व्यापक संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। इस मामले में सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर किए गए मत जो भी हों किन्तु बांध समर्थकों व बांध विरोधियों दोनों ने इन विचारों के प्रति एक सकारात्मक रुख दर्शाया है। इस संदर्भ में देखें तो सरदार सरोवर का विकल्प एक उदाहरण है जहां इन विचारों को लागू किया गया है। विकल्प सम्बंधी हमारी पुस्तक में ये सारे विचार मिलकर एक समग्र विकल्प का रूप ले लेते हैं। यहां हम उन विचारों को अलग-अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से हरेक अपने दम पर गौरतलब है।

विकल्प का सार

पहले तो सरदार सरोवर की मौजूदा परियोजना तथा विकल्प की तुलना करके देखते हैं। यह तुलना हमने तालिका के रूप में प्रस्तुत किया है।

वैकल्पिक प्रस्ताव में भी व्यवस्था है कि गुजरात को उसका 9 एम.ए.एफ. (90 लाख एकड़ फीट) पानी मिल जाएगा। यह पानी बांध की ऊंचाई काफी कम रखते हुए तथा काफी कम ज़मीन डुबाते हुए मुहैया कराया जा सकेगा। सरदार सरोवर से मिलने वाले बिजली के लाभ भी लगभग उतने ही तथा लगभग उतनी ही लागत पर हैं। इनके अलावा गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मिलने वाले नर्मदा जल की मात्रा में काफी वृद्धि की जा सकेगी जबकि शेष गुजरात को मिलने वाले सिंचाई वृद्धि के लाभ में कोई खास कमी नहीं आएगी। ऐसा इसलिए सम्भव हो पाया है क्योंकि विकल्प में नर्मदा से लिए जाने वाले जल के बराबर स्थानीय पानी के दोहन की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से सरदार सरोवर का सेवा क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 41 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में पानी के समतामूलक व टिकाऊ उपयोग का प्रावधान किया

तालिका 1: सरदार सरोवर की वर्तमान योजना और विकल्प की तुलना

क्रम	मद	वर्तमान योजना	वैकल्पिक योजना
1.	स.स. बांध में भंडारण स्तर	140 मीटर	107 मीटर (90 मीटर बेसलाइन स्तर)
2.	स्थाई डूब	36,000 हेक्टेयर	10,800 हेक्टेयर
3.	विस्थापन	1.5 लाख लोग विस्थापित	विस्थापन में भारी कमी
4.	पुनर्वास	उजाड़े गए, नए क्षेत्र में पुनर्वास	नर्मदा जल की निश्चित मात्रा के आश्वासन के साथ, उसी क्षेत्र में पुनर्वास
5.	अपस्ट्रीम सेवा क्षेत्र	शून्य	1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा
6.	गुजरात सेवा क्षेत्र	18 लाख हेक्टेयर	41 लाख हेक्टेयर
	इसमें		
	सौराष्ट्र	3.9 लाख हेक्टेयर (22%)	13.1 लाख हेक्टेयर (32%)
	कच्छ	0.4 लाख हेक्टेयर (2%)	4.0 लाख हेक्टेयर (10%)
	उत्तर गुजरात	3.1 लाख हेक्टेयर (17%)	14.7 लाख हेक्टेयर (36%)
	शेष गुजरात	10.6 लाख हेक्टेयर (59%)	8.9 लाख हेक्टेयर (22%)
7.	स.स. पर ताज़ा बिजली उत्पादन	1400 मेगावॉट (360 करोड़ युनिट)	850 मेगावॉट (260 करोड़ युनिट)
	परियोजना में बिजली की खपत	113.8 करोड़ युनिट	164.6 करोड़ युनिट
	पीक लोड सुविधा	1400 मेगावॉट	1200 मेगावॉट
	गैस-सौर सहउत्पादन	शून्य	200 मेगावॉट
8.	बायोमास के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन	कोई योजना नहीं	न्यूनतम 441 करोड़ युनिट के तुल्य (263 लाख टन)
9.	समतामूलक पानी वितरण तथा टिकाऊ विकास	कोई योजना नहीं	बुनियादी मुद्दा है
10.	कुल लागत	13,000 करोड़ रु.	12,920 करोड़ रु.
	इसमें स्थानीय रोजगार व सेवाओं पर खर्च	नगण्य	3,620 करोड़ रु.
11.	लागत वसूली	ऐसी कोई योजना नहीं	बुनियादी व आर्थिक सेवा में अन्तर के आधार पर वसूली
12.	गुजरात का पानी का हिस्सा	90 लाख एकड़ फीट	90 लाख एकड़ फीट
13.	जंगलों का नुकसान	13,700 हेक्टेयर (अधिकतर अच्छी गुणवत्ता का जंगल)	डूब में 3000 हेक्टेयर साथ में पुनर्वास हेतु 10,000 हेक्टेयर (कम गुणवत्ता का जंगल)
14.	सेवा क्षेत्र में स्थाई वनस्पति आच्छादन	कोई प्रावधान नहीं	11 लाख हेक्टेयर (अपस्ट्रीम जलाशय के नज़दीक के वन क्षेत्र क 23000 हेक्टेयर)